उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या–1856 / पांच–आ0–2013–94(आ0) / 2010
देहरादून, दिनांक 20 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा देहरादून महायोजना–2025 संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु, विज्ञप्ति संख्या–338 / V / आ0–2010–94 (आ0) / 2010, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित महायोजना मानचित्र, आदर्श परिक्षेत्रीय विनियमन के आधार पर महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन में किए गये संशोधन एवं विभिन्न प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनकी निर्धारित औसत गहराई के साथ सूचीबद्ध किये जाने से सम्बन्धित सूची को उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट एवं नगर निगम कार्यालय के सूचना पट्ट पर और विकास प्राधिकरण के अन्य महत्वपूर्ण और दृष्टिगोचर स्थानों पर कार्यालय अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

2– देहरादून महायोजना–2025 संशोधन प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति / सुझावों के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति एवं शासन को सन्दर्भित आपत्तियों के सन्दर्भ में शासन के पत्र संख्या–879 / V / आ0–2013–94(आ0) / 2010, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, महामहिम राज्यपाल एतद्द्वारा देहरादून महायोजना–2025 में संशोधित महायोजना मानचित्र एवं नियोजन प्रखण्ड, महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन एवं विभिन्न प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनकी निर्धारित औसत गहराई में संलग्नानुसार संशोधन करते हैं ।

3– देहरादून महायोजना–2025 में संशोधन से सम्बन्धित यह अधिसूचना, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दूनघाटी क्षेत्र के लिए निर्गत अधिसूचना दिनांक 01–02–1989 एवं 14–09–2006 से आच्छादित एवं प्रभावित होगा ।

4– यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव